संख्या-237/2020/2874/41-2020-02(वि0आ0)/2018

प्रेषक,

शिव पाल सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020**

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीपोत्सव के आयोजन हेतु प्रावधानित धनराशि को व्यय हेतु निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3014/15-1-1668/ट्रै0ट्रे0/2020 दिनांक 08 अक्टूबर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-15-अयोध्या में दीपोत्सव का अयोजन-42-अन्य व्यय मद में प्रावधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में दिनांक 31 मार्च 2021 तक वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि व्यय हेतु आहरित की जायेगी तथा आहरित की गयी धनराशि को बैंक खाता में जमा नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को व्यय करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व में शासनादेश संख्या-240/2019/2889/41-2019-02(वि0आ0)/2018 दिनांक 25 अक्टूबर 2019 द्वारा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 600.00 लाख का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा शासनादेश में अंकित शर्तों का समाधान/अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व मदवार विवरण पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा संगत नियमों के अन्तर्गत ही आयोजन हेतु अनुमन्य धनराशि व्यय की जायेगी। व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण औचित्य सहित शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन में संगत नियमों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की प्रामाणिक सूचना तैयार की जायेगी।

(4) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों/आडिट प्रस्तरों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्वित किया जायेगा ।

(8) अयोध्या में दीपोत्सव-2020 का आयोजन विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। अत: निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी कार्य में द्विरावृत्ति एवं द्विरा भुगतान की स्थिति न उत्पन्न हो। महानिदेशक पर्यटन द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही/पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रस्तर-2 में दीपोत्सव-2020 के लिए निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2 (8) (च) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी तथा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-44 के राजस्व लेखा में प्रथम अनुपूरक के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-15-अयोध्या में दीपोत्सव का अयोजन-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय.व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020 व संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-237/2020/2874(1)/41-2020-02(वि0आ0)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास/सूचना/आवास एवं शहरी नियोजन/जन शक्ति विभाग।
4- आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या एवं जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
9- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।